

Seventeenth Loksabha

&gt;

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members

**माननीय अध्यक्ष** : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

आइटम नम्बर 2, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ।

**जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**: माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल तथा भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5130/17/21]

- (3) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5131/17/21]

- (5) (एक) बेतवा रीवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
 (दो) बेतवा रीवर बोर्ड, झांसी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5132/17/21]

- (7) (एक) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
 (दो) राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रूड़की के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5133/17/21]

**जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केन्द्र, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केन्द्र, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5134/17/21]

- (2) राष्ट्रीय पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा\* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5135/17/21]

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, मुंबई के 2017-2018 से 2019-2020 तक के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, मुंबई के 2017-2018 से 2019-2020 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5136/17/21]

(3) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14(क) के अंतर्गत वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2021, जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 192(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[Placed in Library, See No. LT 5137/17/21]

(4) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2020 जो 23 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 579(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2020 जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 585(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 584(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

- (चार) का. आ. 3310 (अ) जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य सरकार द्वारा धारा 210क के अंतर्गत किसी गुणक को निर्दिष्ट करने के बारे में है ।
- (पांच) का. आ. 3311(अ) जो 25 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मोटर यान संशोधन अधिनियम, 2019 की धारा 45,74,88,90,91 को लागू किया गया है ।
- (छह) केन्द्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 594(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) केन्द्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 598(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (आठ) केन्द्रीय मोटर यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 12 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 628(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (नौ) केन्द्रीय मोटर यान (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 22 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 661(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दस) केन्द्रीय मोटर यान (सोलहवां संशोधन) नियम,

- 2020 जो 27 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 673(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (ग्यारह) केन्द्रीय मोटर यान (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 29 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 682(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (बारह) केन्द्रीय मोटर यान (अठारहवां संशोधन) नियम, 2020 जो 6 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 690(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तेरह) का. आ. 4251 (अ) जो 26 नवंबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मोटर यान(संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 36 को लागू करने की तिथि 27 नवम्बर, 2020 नियत करने के बारे में है ।
- (चौदह) दुपहिया मोटर यान चालक हेल्मेट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जो 26 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सूचना का. आ. 4252 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।
- (पंद्रह) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2021 जो 8 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 15(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सोलह) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 14 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 21(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सत्रह) अंतर-देशीय परिवहन वाहन नियम, 2021 जो 15 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 25(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(अठारह) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 148(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(उन्नीस) का. आ. 1026 (अ) जो 3 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो संपर्करहित सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार के बारे में है ।

(बीस) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 8 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 156(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(इक्कीस) अखिल भारतीय पर्यटक वाहन(प्राधिकार या परमिट) (चौथा संशोधन) नियम, 2021 जो 11 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 166(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बाईस) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2021 जो 12 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 173(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तेईस) का. आ. 1231 (अ) जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको मोटर

यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 39 और 40 लागू होगी ।

- (चौबीस) का. आ. 1232 (अ) जो 16 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वाहन रिकॉल पोर्टल के बारे में है ।
- (पच्चीस) का. आ. 1406 (अ) जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किये गए हैं ।
- (छब्बीस) केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2021 जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 240(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सत्ताईस) का. आ. 1433 (अ) जो 31 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको मोटरवाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यथाउल्लिखित उपबंधों प्रभावी होंगे ।
- (अट्ठाईस) का. आ. 1441 (अ) जो 1 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अप्रैल, 2021 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है, जिसको ऑक्सीजन सिलिंडरों के परिवहन के लिए छूट अनुमेय होगी ।
- (उनतीस) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2021 जो 16 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 277(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीस) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम,



2021 जो 19 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(इकतीस) केन्द्रीय मोटर यान (नौवां संशोधन) नियम, 2021 जो 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(बत्तीस) केन्द्रीय मोटर यान (दसवां संशोधन) नियम, 2021 जो 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तैंतीस) का.आ. 2159(अ) जो 3 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वाहन की श्रेणी के लिए जारी चालक अनुज्ञप्ति के आधार पर मोटरवाहनों के प्रकार के बारे में है ।

(चौंतीस) केन्द्रीय मोटर यान (बारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 8 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 393(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पैंतीस) केन्द्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 8 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छत्तीस) का. आ. 2177 (अ) जो 8 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा 1 जुलाई, 2021 को उस तिथि के रूप में नियत किया गया है जिसको मोटर यान

(संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 8 और धारा 17 का खंड (सात) प्रवृत्त होगा।

(सैंतीस) केन्द्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 15 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अड़तीस) केन्द्रीय मोटर यान (चौदहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 435(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उनतालीस) का. आ. 2513 (अ) जो 24 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जिसके द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर्स ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को "सुविधा केन्द्र"के रूप में कार्य करने के लिए मान्यता प्रदान की गयी है।

(चालीस) केन्द्रीय मोटर यान (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2021 जो 16 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 492(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT  
5138/17/21]

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2010-2011 से 2014-

2015 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 5139/17/21]

- (2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत प्रणाली प्रचालनों में संचार प्रणाली के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2020 जो 27 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. संचार मानक/पीसीडी/सीईए में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5140/17/21]

**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा):**  
माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

।

[Placed in Library, See No. LT 5141/17/21]

- (3) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5142/17/21]

- (4) (एक) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[Placed in Library, See No. LT 5143/17/21]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत तेल उद्योग (विकास) संशोधन नियम, 2020 जो 22 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5144/17/21]

- (2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों के लिए समग्रता प्रबंधन प्रणाली) विनियम,

- 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/टेक/15-आईएमएसपीपीपीएलआरईजी./(1)/2021-खण्ड (3)(पी-3385) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/ टेक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2021 (पी-3369) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण) संशोधन विनियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(2)/2018 (पी-3270) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चार) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को कॉमन कैरियर या कॉन्ट्रैक्ट कैरियर घोषित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत) विनियम, 2020 जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./7-विविध (03)/2015(पी-143) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पांच) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम, ऑटो एलपीजी और सीएनजी वितरित करने वाले रिटेल आउटलेट्स के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) संशोधन विनियम, 2020 जो 18 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/5-टी4एसआरओ/(2)/2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (छह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2020 जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी/(07)/2020 (पी-884) में प्रकाशित हुए थे ।
- (सात) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य

प्रभारों का उद्ग्रहण) संशोधन विनियम, 2020 जो 14 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 में प्रकाशित हुए थे ।

- (आठ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विनिर्देशन) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 18 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/1-टी4एससीजीडी/(1)/2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (नौ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (तृतीय पक्ष अनुरूपता आकलन) संशोधन विनियम, 2021 जो 17 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/24-टीपीसीए/(1)/2019 (पी-354) में प्रकाशित हुए थे ।
- (दस) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्कों को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत किया जाना) संशोधन विनियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/प्राधि./1-सीजीडी/(79)/2019 (पी-770) में प्रकाशित हुए थे ।
- (ग्यारह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड [आपात अनुक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना (ईआरडीएमपी) के लिए व्यवहार संहिता] संशोधन विनियम, 2020 जो 18 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/19-ईआरडीएमपी/(1)/2020 में प्रकाशित हुए थे ।
- (बारह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शहरी या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क की क्षमता का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020 जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

- एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/9-सीएपीसीजीडीआरईजी/(1)/2020 (पी-2138) में प्रकाशित हुए थे ।
- (तेरह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण) दूसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 (पी-836) में प्रकाशित हुए थे ।
- (चौदह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन वहन टैरिफ का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 2020 जो 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/3/पीपीपीएल टैरिफ(1)/2012 खण्ड-चार (पी-1018) में प्रकाशित हुए थे ।
- (पंद्रह) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस एक्सचेंज) विनियम, 2020 जो 29 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/टेक/35-गैस एक्सचेंज/(2)/2020 (पी-1687) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 5145/17/21]

**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर):** माननीय अध्यक्ष जी, मैं

संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत डीएमआरसी, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिल्ली मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के फेज- । । । के कार्यान्वयन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (2021 का संख्यांक 11) - के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ ।

[Placed in Library, See No. LT 5146/17/21]

**12.11**

**hrs**